

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय :- सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत कतरी जलाशय योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु० 65.42 लाख (रुपये पैसठ लाख बयालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

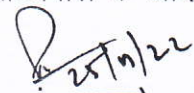
- सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत कतरी जलाशय योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु० 65.42 लाख (रुपये पैसठ लाख बयालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- कतरी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :-
 - Head works के Right and Left Outlet में 04 अदद गेटों का रिपेयरिंग कार्य एवं उत्तोलन प्रणाली में वायर रोप, गियर बॉल्स को नया लगाने तथा रोप ड्रम सिस्टम के ओभरहोलिंग का कार्य।
 - Right and Left मुख्य नहर के विभिन्न चैनो पर 05 अदद H/R गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।
 - Right and left मुख्य नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर 12 अदद C/R गेटों का रिपेयरिंग कार्य।

कतरी जलाशय योजना अन्तर्गत कार्य का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No.	Description of work	Amount
A.	Fabrication and erection of H/R gate, with Embedded part and Hoisting Arrangement etc. All complete job as per direction of E/I. (Right & Left canal)	Rs. 701245.00
B.	Supply, fitting and fixing of "U" series 1000 Gear box of Redicon/Elicon equivalent. All complete job as per direction of E/I.	Rs. 504076.00
C.	Supply, Fitting and Fixing of Wheel (Roller), Pin and Bush for smooth operation of Gate in groove. All complete job as per direction of E/I.	Rs. 372948.00
D.	Renovation and Fabrication of C/R Gate, Embedded parts and hoisting arrangement. All complete job as per direction of E/I.	Rs. 1859916.00
E.	Fabrication and Erection of Hoist Bridge of C/R Gate. All complete job as per direction of E/I.	Rs. 518832.00
F.	Repair, Maintenance and operation of gates for 03 year.	Rs. 687789.00
G.	Other items	Rs. 10,81,212.16
	Total	Rs. 5726018.16
	GST@12%	Rs. 687122.17
	Total	Rs. 6413140.33
	Labour Cess@1%	Rs. 64131.40
	Contingency @1%	Rs. 64131.40
	Grand Total :-	Rs. 6541403.13
	Say	Rs. 65,42,000.00

3. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची होंगे।
4. इस कार्य मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 49-S-4701-80-796-46-00-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट शीर्ष 4701-80-796-46-00-05-45 में रु० 300.00 लाख का बजट उपबंध है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण करा लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य में निकलने वाले स्क्रेप का वर्तमान दर पर आकलित मूल्य का 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा कराया जायेगा।
12. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. कार्य कराने वाली Agency/संवेदक द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
16. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वीकृत्यादेश Online upload करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3 राँची/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रतिलिपि:- आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/26/2015-26/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25-01-2022

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)